-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले एक अन्य वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करने वाले 01अन्य वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला निवासी देबिया पुत्र चैतुवा द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना मटौंध पर सूचना दी गई कि दिनांक 06.08.2025 को उनकी जमीन को कुछ लोगों द्वारा योजना बनाकर कूटरचित दस्तावेजों व आधार कार्ड का प्रयोग कर उनकी हटेटी पुरवा की लगभग 34 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बिजली खेड़ा निवासी आजम खान के नाम कर दी। जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना मटौंध पुलिस द्वारा पूर्व में ही 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना मे शामिल अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 04.04.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा एक अन्य अभियुक्त को दुरेड़ी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रिजवान खान पुत्र जमाल खान निवासी जरैली कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 29/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)340(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना मटौंध श्री दीपेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री विकास नेहरा
3. कां0 पियूष कटियार